न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 161/2017
दायर दिनांक :– 27.07.2017

अनवान

1. रामदेव पिता हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर (मृतक)
1/1. परमेश्वर मुतबन्ना रामदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
2. भँवर लाल पिता रामदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
3. मु. गीता पुत्री रामदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. फसमा बेवा हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/1 गोपाल पिता हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/2 जगदीश पिता हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/3 गोपीया पुत्री हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/4 मु. प्रेम पुत्री हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/5 मु. गीता पुत्री हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/6 नाथू पिता हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/7 देवप्रकाश पिता बत्ती भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/8 शिवप्रकाश पिता हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/9 मदन लाल पिता हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
2. देवली पत्नि नाथु भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
3. प्रेम पत्नि मदनलाल भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
4. प्रकाशी पत्नि फतेह लाल भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
5. मूर्ति पत्नि भैरू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
6. बिसर पत्नि जोधाराज भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
7. मु. काली पत्नि राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
8. मु. लाडा पत्नि राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
9. मनोहर पिता राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
10. मु. फोरी पुत्री राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
11. विष्णु पिता राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
12. तोला पुत्री राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
13. पाटा पुत्री राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
14. दुर्गालाल मुतबन्ना सांवता भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
15. भोजा पिता कल्याण भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
16. राजाराम पिता जीवण भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
17. शंकर भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
18. मु. पुष्पा बेवा जीवण भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
19. मु. फोरी पुत्री जीवण भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
20. मु. वीना पुत्री जीवण भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
21. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री जाकिर हुसैन, एडवोकेट वादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 27.04.2022

1. वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम माताजी का खेडा प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 650/1, 1304/10 कुल किता 02 रकबा 14–05 बीघा तथा आराजी नं. 1002, 1003, 1020, 1021, 1022 कुल किता 05 रकबा 16–16 बीघा भुमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 7 लगायत 20 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। वादीगण हरदेव पिता कल्याण भाट की संताने होकर स्व. हरदेव भाट के वादीगण सं. 1 रामदेव व वादी सं. 2 भंवर पुत्र एवं वादी सं. 3 गीता पुत्री तथा मु. थोपा पत्नि विधिक वारिशान है। जो स्व. हरदेव भाट की चल अचल सम्पत्ति पर हरदेव भाट की मृत्यु के बाद उनके वारिशान व उत्तराधिकारी होने से काबिज हैं। उक्त वर्णित आराजियात पूर्व में राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता हरदेव पिता कल्याण के नाम दर्ज थी। हरदेव पिता कल्याण भाट की मृत्यु हो जाने से वादीगण उनके विधिक वारिशान होने से उक्त वर्णित आराजियात का नामा. विरासत से नामा. सं. 48 दिनांक 01.12.2001 को खोला गया। जिसमे वर्णित आराजियात वादीगण व उनकी माता मु. थोपा के नाम खोला गया। उक्त नामा. प्रतिवादी सं. 16 व राजस्व कर्मियो द्वारा खोला गया। उस समय वादीगण की माता का नाम मु. थोपा के बजाय मिलीभगत करके फसमा के नाम खोला गया। जबकि वादीगण की माता स्व. हरदेव की पत्नि का नाम मु. थोपा था जिसका अंकन निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान कार्ड मे भी वादीगण की माता एवं हरदेव की पत्नि का नाम थोपा दर्ज हैं वादीगण की माता का स्वर्गवास भी दिनांक 1.06.06 को हो चुका हैं जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी ग्राम पचांयत फलासिया द्वारा जारी किया गया जिसमें वादीगण की माता का नाम थोपा देवी दर्ज है। वादीगण द्वारा उनकी माता मु. थोपा की मृत्यु हो जाने से उनका नाम राजस्व रेकार्ड से हटाने के लिए राजस्व रेकार्ड जमाबंदी की नकले संवत 2070 से 2073 की खाता सं. 136 व 137 की दिनांक 15.12.16 व 21.12.16 को ली तब वादीगण को जानकारी हुई राजस्व रकार्ड में उनकी माता का नाम थोपा के बजाय फसमा बेवा हरदेव दर्ज है। तथा वादी सं. 3 गीता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। तब वादीगण ने दिनांक 22.12.2016 को उक्त नामा. सं. 48 की नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई प्रतिवादी सं. 16 के राजस्व विभाग द्वारा विरासत से नामा. में हरदेव की पुत्री के रूप में दर्ज किया गया, किन्तु जमाबन्दी से वादी सं. 3 का नाम हटा दिया गया। वादीगण ने नकले प्राप्त की तो उसमें देखा कि जो

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

नाम राजस्व अधिकारियों व प्र. सं. 1 से मिली भगत करके वादीगण की माता थोपा के बजाय फसमा बेवा हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा के नाम गलती से खोला गया था जो हमारे पिता के आवंटन शुदा खातो की कृषि आराजियात में नाम आ जाने से उसके जरिये बेचान दिनांक 21.12.2015 के आराजी नं. 650/1, 1304/10 कीता 2 रकबा 14–05 बीघा के 1/3 हिस्सा मिली भगत से नाम आया को फसमा ने प्रतिवादी सं. 2 से 6 के नाम विकाउ कर दिया जो आरम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने से बेअसर हैं। वादीगण को शून्य संविधा को शून्य घोषित कराने की आवश्यकता नही है। वादीगण राजस्व रेकार्ड में उक्त वर्णित आराजियात के खाते में माता का नाम फसमा के बजाय मु. थोपा दर्ज कराकर उक्त त्रुटि को जरिये इन्द्राज दुरूस्ती दुरूस्त करवाना चाहते है। तथा वादी सं. 3 गीता का नाम भी राजस्व रेकार्ड स्व. हरदेव की पुत्री होने से खातेदार के रूप में दर्ज करवाना चाहते है। चूंकि वादीगण की माता मु. थोपा की मृत्यु हो चुकी हैं इस कारण वादीगण उक्त आराजियात से मु. थोपा का नाम हटाया जाकर उसके हिस्से के खातेदार भी वादीगण को घोषित होने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी सं. 1 व 2 से 6 शून्य संविदा के जरिये बेचान से नाम आ जाने उन्हे पक्षकार बनाया गया हैं जिन्हे मा. न्यायालय स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित होगा तथा प्रतिवादी सं. 21 लैण्ड रेकार्ड होल्डर होकर रेवेन्यु रेकार्ड उसके आधिपत्य में होने से और उक्त रेकार्ड में हुई त्रुटि का संशोधन प्रतिवादी सं. 21 द्वारा किया जाना है। इस कारण पक्षकार बनाया गया है। वादीगण को वाद हेतु दिनांक 15.12.16 व 21.12.16 को राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तब से पैदा होकर निरंतर जारी है। वादपत्र में वर्णित आराजी में वादीगण की माता का नाम फसमा मु. थोपा दर्ज किया जावें इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती प्रतिवादी सं. 21 से कराये जाने का आदेश बक्षावे। वादी सं. 3 मु. गीता का नाम स्व. हरदेव की वारिशान होने से दर्ज करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 से 7 के विरूद्व प्रदान की जावे। जिसकी पालना प्रतिवादी स. 21 से कराये जाने का आदेश बक्षावे। उक्त वर्णित आराजियात के खाते में से मु. थोपा का नाम उसकी मृत्यु हो जाने से हटाया जाकर उसके हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किये जाने की डिक्री वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी सं. 21 के विरूद्व सादर फरमाई जावे। बाद खातेदारी घोषणा प्रतिवादीगण_वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करे व हस्तक्षेप न करें ना करावे इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

2. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 7 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसे स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं. 2 से 6 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल वकील वादीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 16.03.2022 को प्रतिवादीगण को कितनी ही मर्तबा आवाजे लगवाई जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वादी ने वाद पत्र की ताईद में खाता सं. 136 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की प्रति प्रदर्श 1 है, खाता सं. 137 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की प्रति प्रदर्श 2 है, नामा. सं. 48 दिनांक 01.12.2001 की प्रति प्रदर्श 3 है, भूमि जोत डायरी की प्रति प्रदर्श 4 है, थोपा देवी की मृत्यु प्रमाण की प्रति प्रदर्श 5 है, थोपा देवी की निर्वाचन मतदाता कार्ड की प्रति प्रदर्श 6 है, जो शामिल पत्रावली है। तथा गवाह बयान में रामदेव भाट पी डब्ल्यु 1, लादू धाकड, पी डब्ल्यु 2, जीतमल धाकड पी डब्ल्यु 3, लादू धाकड, पीडब्ल्यु 2 ए, भंवर भाट, गीता भाट पी डब्ल्यु 4, हेमराज भाट पी डब्ल्यु 5 के बयान प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

4. वकील वादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने बताया की उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के पिता को आंवटित हुई थी। वादीगण स्व. हरदेव पिता कल्याण भाट की संताने होकर विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है। जो वर्षो से हरदेव व उसके बाद रामदेव व उसके बाद भंवर व गीता काबिज हो काश्त कर रहे है। वादीगण की माता का नाम थोपा देवी था। हरदेव की मृत्यु के बाद थोपा देवी के बजाय पसमा के नाम से खाता खोल दिया गया। नामान्तरण सं. 48 दिनांक 01.12.2001 में मृतक हरदेव की पत्नि का नाम फसमा गलत दर्ज किया गया है। फसमा द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का फायदा उठाकर विवादित भूमि में से खाता सं. 136 खसरा नं. 650/1, 1304/10 कुल किता 02 रकबा 14.05 बीघा में अपना 1/3 हिस्सा देवली पत्नि नाथु, प्रेम पत्नि मदनलाल, प्रकाशी पत्नि फतेहलाल, मूर्ति पत्नि भैरू, बिसर पत्नि जोधराज भाट को विक्रय कर दिया गया। उक्त वर्णित आराजियात में पसमा या पसमा के केताओं के बजाय स्व. थोपा देवी दर्ज कराकर उक्त त्रुटि दुरूस्ती किया जाना फरमावे। तथा वादी सं. 2 गीता का नाम भी राजस्व रेकार्ड में नामा. सं. 48 दिनांक 01.12.2001 स्व. हरदेव की पुत्री होने से खातेदार के रूप में दर्ज कराना फरमावे। चूंकि वादीगण की माता थोपा की मृत्यु हो चुकी है, तथा वादी सं. 1 रामदेव की भी मृत्यु दिनांक 27.06.2020 को हो चुकी हैं इस कारण वादीगण उक्त आराजियात मे स्व. थोपा के स्थान पर उसके

Scanned with CamScanner

हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना फरमावे।

5. मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नामा. सं. 48 की प्रति प्रदर्श 3 एवं भूमि जोत पासबुक प्रदर्श 4 के अनुसार विवादित आराजी नं. 650/1, 1304/10 कुल किता 02 रकबा 14-05 बीघा तथा आराजी नं. 1002, 1003, 1020, 1021, 1022 कुल किता 05 रकबा 16-16 बीघा पूर्व में वादीगण के पिता हरदेव पिता कल्याण के नाम दर्ज रेकार्ड थी।

6. वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार पर नामा. सं. 48 दिनांक 01.12.2001 (प्रदर्श 3) स्वीकृत हुआ, जिसकें अनुसार विवादित आराजी में हरदेव के स्थान पर रामदेव, भँवर पिता हरदेव, गीता पुत्री हरदेव, मु. फसमा बेवा हरदेव भाट का नाम दर्ज किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 6 एवं लादू धाकड, पीडब्ल्यु 2, जीतमल धाकड पीडब्ल्यु 3, हेमराज भाट पीडब्ल्यु 5 के बयानो से से प्रमाणित है कि थोपा देवी हरदेव की पत्नि थी। इस प्रकार नामान्तरण सं. 48 दिनांक 01.12.2001 में मृतक हरदेव की पत्नि का नान फसमा गलत दर्ज किया गया है। फसमा द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का फायदा उठाकर विवादित भूमि में से खाता सं. 136 खसरा नं. 650/1, 1304/10 कुल किता 02 रकबा 14.05 बीघा में अपना 1/3 हिस्सा देवली पत्नि नाथु, प्रेम पत्नि मदनलाल, प्रकाशी पत्नि फतेहलाल, मूर्ति पत्नि भैरू, बिसर पत्नि जोधराज भाट को विकय कर दिया गया। वर्तमान में खाता सं. 136 में फसमा का 1/3 हिस्सा देवली पत्नि नाथु, प्रेम पत्नि मदनलाल, प्रकाशी पत्नि फतेहलाल, मूर्ति पत्नि भैरू, बिसर पत्नि जोधराज भाट के नाम दर्ज है। इस प्रकार फसमा या बाद मे फसमा के केताओं के नाम दर्ज खसरा नं. 650/1, 1304/10 कुल किता 02 रकबा 14.05 बीघा में उनका नाम विलोपित कर थोपा का नाम दर्ज किया जाना उचित है। इसी प्रकार आराजी नं. 1002, 1003, 1020, 1021, 1022 कुल किता 05 रकबा 16-16 बीघा में फसमा का नाम विलोपित कर थोपा का नाम दर्ज किया जाना उचित है।

7. वादीगण के पिता हरदेव की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरण सं. 48 दिनांक 01.12.2001 (प्रदर्श 3) खुला जिसमें गीता पुत्री हरदेव का नाम अंकित था परन्तु नामान्तरण का राजस्व रेकार्ड में अमल पूर्ण रूप से नहीं हुआ एंव गीता पुत्री हरदेव का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन से रह गया, जिसकी ताईद खाता सं. 136 व 137 जमाबन्दी सम्वत 2070-73 प्रदर्श 1 व 2 से होती है। गीता देवी भी अपने पिता हरदेव की मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार पर हरदेव के हिस्से में से

Scanned with CamScanner

1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार थी। अतः नामा. सं. 48 दिनांक 01.12.2001 के आधार पर गीता देवी का नाम दर्ज किया जाना उचित होगा।

8. वर्तमान में थोपा देवी की मृत्यु हो चुकी है। थोपा देवी अपने जीवनकाल में अपने पति हरदेव की मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार हरदेव के हिस्से में से 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकार रखती थी। थोपा देवी की मृत्यु के पश्चात उनके वारिस पुत्र/पुत्री रामदेव, भँवरलाल, गीता थोपा देवी के हिस्से में से बराबर बराबर हिस्से पर हकदार है। वर्तमान में रामदेव की मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर उनके पुत्र परमेश्वर पिता रामदेव भाट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

9. उपरोक्त विवेचन अनुसार खसरा नं. 650/1, 1304/10 कुल किता 02 रकबा 14.05 बीघा में प्रतिवादी सं. 2 से 6 का नाम विलोपित करते हुये वर्तमान में परमेश्वर मु. रामदेव भाट, भंवर पिता हरदेव एंव गीता पुत्री हरदेव प्रत्येक को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। इसी प्रकार आराजी नं. 1002, 1003, 1020, 1021, 1022 कुल किता 05 रकबा 16–16 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 फसमा का नाम विलोपित करते हुए वर्तमान में परमेश्वर मु. रामदेव भाट, भंवर पिता हरदेव एंव गीता पुत्री हरदेव को प्रत्येक को 1/15 कुल 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

:: आदेश ::

अतः वादीगण का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम माताजी का खेडा प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं: 650/1, 1304/10 कुल किता 02 रकबा 14–05 बीघा में प्रतिवादी सं. 2 से 6 का नाम विलोपित करते हुये एवं वादी सं. 1 रामदेव का नाम विलोपित करते हुए परमेश्वर मु. रामदेव भाट, भंवर पिता हरदेव एंव गीता पुत्री हरदेव प्रत्येक को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा आराजी नं. 1002, 1003, 1020, 1021, 1022 कुल किता 05 रकबा 16–16 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 फसमा का नाम विलोपित कस्ते हुए एवं वादी सं. 1 रामदेव का नाम विलोपित करते हुए परमेश्वर मु. रामदेव भाट, भंवर पिता हरदेव एंव गीता पुत्री हरदेव को प्रत्येक को 1/15 कुल 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:\nirnay\\rider

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

1. रामदेव पिता हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर (मृतक)
1/1. परमेश्वर मुतबन्ना रामदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
2. भॅवर लाल पिता रामदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
3. मु. गीता पुत्री रामदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. फसमा बेवा हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/1 गोपाल पिता हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/2 जगदीश पिता हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/3 गोपीया पुत्री हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/4 मु. प्रेम पुत्री हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/5 मु. गीता पुत्री हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/6 नाथू पिता हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/7 देवप्रकाश पिता बत्ती भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/8 शिवप्रकाश पिता हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
1/9 मदन लाल पिता हरदेव भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
2. देवली पत्नि नाथु भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
3. प्रेम पत्नि मदनलाल भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
4. प्रकाशी पत्नि फतेह लाल भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
5. मूर्ति पत्नि भैरू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
6. बिसर पत्नि जोधाराज भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
7. मु. काली पत्नि राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
8. मु. लाडा पत्नि राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
9. मनोहर पिता राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
10. मु. फोरी पुत्री राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
11. विष्णु पिता राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
12. तोला पुत्री राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
13. पाटा पुत्री राजू भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
14. दुर्गालाल मुतबन्ना सांवता भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
15. भोजा पिता कल्याण भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
16. राजाराम पिता जीवण भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
17. शंकर भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
18. मु. पुष्पा बेवा जीवण भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
19. मु. फोरी पुत्री जीवण भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
20. मु. वीना पुत्री जीवण भाट नि. माताजी का खेडा तह. जहाजपुर
21. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

दावा बाबत – 88, 89, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 161 /2017

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री जाकिर हुसैन का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम माताजी का खेडा प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 650/1, 1304/10 कुल किता 02 रकबा 14–05 बीघा में प्रतिवादी सं. 2 से 6 का नाम विलोपित करते हुये एवं वादी सं. 1 रामदेव का नाम विलोपित करते हुए परमेश्वर मु. रामदेव भाट, भंवर पिता हरदेव एंव गीता पुत्री हरदेव प्रत्येक को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कियां जाता है। तथां आराजी नं. 1002, 1003, 1020, 1021, 1022 कुल किता 05 रकबा 16–16 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 फसमा का नाम विलोपित करते हुए एवं वादी सं. 1 रामदेव का नाम विलोपित करते हुए परमेश्वर मु. रामदेव भाट, भंवर पिता हरदेव एंव गीता पुत्री हरदेव को प्रत्येक को 1/15 कुल 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.04.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

c@rider/dikri

Scanned with CamScanner